

**बिहार सरकार**  
**जल संसाधन विभाग**  
**कार्यपालक अभियंता(यॉ0) का कार्यालय**  
**क्षेत्र यंत्र प्रमंडल, भागलपुर**

**अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना संख्या – 06/2023-24**

पत्रांक :- 77

भागलपुर/ दिनांक :- 13/02/2024

- 1 निविदा आमंत्रित करने की तिथि :- 13.02.2024
- 2 निविदा आमंत्रण करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम :- कार्यपालक अभियंता(यॉ0) क्षेत्र यंत्र प्रमंडल, भागलपुर।
- 3 परिमाण विपत्र बिक्री की तिथि एवं समय :- दिनांक 22.02.2024 से 27.02.2024 (only on website [www.eproc2.bihar.gov.in](http://www.eproc2.bihar.gov.in))
- 4 निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय :- 27.02.2024 अपराह्न 3:00 बजे तक (only on website [www.eproc2.bihar.gov.in](http://www.eproc2.bihar.gov.in))
- 5 तकनीकी बोड खोलने की तिथि एवं समय :- 28.02.2024 अपराह्न 3:00 बजे (only on website [www.eproc2.bihar.gov.in](http://www.eproc2.bihar.gov.in))
- 6 वित्तीय बोड खोलने की तिथि एवं समय :- तकनीकी बीड की स्वीकृति के पश्चात (only on website [www.eproc2.bihar.gov.in](http://www.eproc2.bihar.gov.in))
- 7 निविदा खोलने का स्थान :- (only on website [www.eproc2.bihar.gov.in](http://www.eproc2.bihar.gov.in))
- 8 निविदा की वैधता :- 120 दिन
- 9 कार्य का विवरण –

ग्रुप सं०	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (रुपये में)	अग्रधन की राशि (रुपये में)	परिमाण विपत्र का मूल्य (नहीं लौटाने योग्य)	बेल्डान को देय प्रोसेसिंग फी (अप्रत्यपणीय) (केवल ऑन लाईन मोड में)	कार्य समाप्ति की तिथि
I	Supply & filling of transformer oil & filtration machine at 33/6.6KV sub-station and repair and maintenance of CT/PT/VCB etc. Ganga pump canal scheme(GPCS) bateshwarsthan, kahalgaon stage-II	2121323	42500	5000	590	15 Days

10. ई0 – टेण्डरिंग की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु निविदादाताओं को चतुर्थ श्रेणी में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा, जिससे की उन्हें उपयोगकर्ता का नाम (User ID) , पासवर्ड (Password) अकिय हस्ताक्षर (Digital Signature) आवश्यक होगा। यह उन्हें वेबसाईट ([www.eproc2.bihar.gov.in](http://www.eproc2.bihar.gov.in)) से डाउनलोड करने / ई0 टेण्डरिंग में भाग लेने की योग्यता प्रदान करेगा।
11. ई0 – टेण्डरिंग मात्र ([www.eproc2.bihar.gov.in](http://www.eproc2.bihar.gov.in)) पर डाउनलोड एवं अपलोड किया जा सकता है।

- 12 विशेष जानकारी के लिए वेबसाईट ([www.eproc2.bihar.gov.in](http://www.eproc2.bihar.gov.in)) एवं ([www.prdbihargov.in](http://www.prdbihargov.in)) पर देखा जा सकता है।
- 13 (क) E- Tendering/ E- procurement के तहत निविदा हेतु बीड प्रोसेसिंग शुल्क एवं परिमाण विपत्र का मूल्य (जो लौटाया नहीं जायेगा) का भुगतान On line Mode (E- payment Mode) यानी Internet Payment Gateway (Credit / Debit Card) , Net Banking , NEFT / RTGS द्वारा किया जाना अनिवार्य है।  
(ख) E- Tendering/ E- procurement प्रणाली के तहत निविदा में अग्रधन के रूप में जमा की जाने वाली राशि की राशि On line Mode (E- payment Mode) अथवा Physical Mode में मात्र Bank Guarantee मान्य होगा। अग्रधन की राशि Bank Guarantee जो बीड के मान्य अवधि के लिए बिहार अवस्थित किसी राष्ट्रीयकृत बैंक / अनुसूचित बैंक का हो , जो कार्यपालक अभियंता (यॉ0) क्षेत्र यंत्र प्रमंडल भागलपुर के पदनाम से निर्गत हो जिसकी मूल प्रति कार्यपालक अभियंता क्षेत्र यंत्र प्रमंडल भागलपुर / अधीक्षण अभियंता (यॉंत्रिक) सिंचाई यॉंत्रिक अंचल मीठापुर पटना / मुख्य अभियंता (यॉंत्रिक) जल संसाधन विभाग पटना के कार्यालय में दिनांक 28-02-24 को 3.00 अपराहन तक आवश्य जमा करना होगा। अग्रधन के रूप में जमा की जाने वाली Bank Guarantee निविदा निर्गत की तिथि एवं निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि के बीच निर्गत किया जाना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर निविदा मान्य नहीं होगा।
- 14 Bids to along with necessary online payments must be submitted through E-procurement portal [www.eproc2.bihar.gov.in](http://www.eproc2.bihar.gov.in) ,the date and time specified in the e-N.I.T the department does not take any responsibilities for the delay/non submission of tender/ non reconciliation of online payment caused due to non availability of internet connection ,network traffic/ holydays or any other reason.
- 15 BSEDC Processing fee and tender documents fee /BOQ fee has to be paid through e-payment mode only.EMD may be paid either through online or offline mode .
- 16 Tenderer can access tender documents on the above mentioned website, fill them and submit the complete tender documents as electronic tender on the website itself only.Bidders /tenderer shall attach scanned copies of all papers , i.e earnest money and the certificates as required in Eligibility criteria.
- 17 Corrigendum / addendum / correction if any will be published on the website only.The under signed reserve the right to cancel the bid without any prior information or assigning any reason.
- 18 The tenderer should listed up serial no. of scanned documents before uploading so that the particular documents may be located soon on the basis of serial no/page no. All documents must be uploaded pdf, ms office(compatibility mode) .jpeg,zip format claims will not be entertained if uploaded documents were not able to download/open the other format.
- 19 The tenderer should fully satisfied of download ability /visibility of scanned uploaded documents
- 20 No claim shall be entertained on account of disruption of internet service being use by tenderer.tenderers are advised to upload their bids well in advance to avoid last minute technical snage .In the unlikely event of the server for [www.eproc2.bihar.gov.in](http://www.eproc2.bihar.gov.in) being down for more than two consecutive hours in the period from 12 o'clock(night) to

closing time of receipt of contractor on the last date of receiving of bid ,the last date of the same automatically be extended to next working days till the last receiving time stipulated in the original e-N.I.T.

- 21 परिमाण विपत्र में अंकित राशि घट-बढ़ सकती है। इसलिए परिमाण विपत्र में अंकित राशि के आधार पर अग्रधन की राशि एवं निविदा सलेख का मूल्य देय होगा।
- 22 निविदादाता को स्थानीय चतुर्थ श्रेणी में निबधित होना आवश्यक है, तत्संबंधी अद्यतन निबंधन प्रमाण पत्र सलग्न करना होगा।
- 23 प्रस्तुत कार्य Electrical कार्य से संबंधित है। अतः वे ही संवेदक इस कार्य के लिए मान्य होंगे जिनके पास विद्युत कार्य करने का लाईसेंस प्राप्त होगा।
- 24 निविदादाताओं को पूर्व के संपादित कार्य भी नये कार्य आवंटन के लिए एक आधार होगा।
- 25 प्रगारी अभियता के निदेशानुसार एव विशिष्टियों के अनुरूप संवेदक को कार्य करना होगा।
- 26 निविदा निष्पादन के दौरान वैसे निविदाकारों को कार्य आवंटन से वंचित रखा जायेगा जिस के विरुद्ध विभाग में कालीकरण की कार्यवाई की जा रही हो अथवा कार्य-कलाप संदेहास्पद हो।
- 27 जिन निविदादाताओं को कार्य आवंटित होगा उन्हें तत्काल एकरारनामा कर कार्यदेश प्राप्त कर कार्य आरम्भ कर देना होगा। अन्यथा कार्य आवंटन रद्द करते हुए जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी।
- 28 निविदा की अन्य शर्त परिमाण विपत्र में सलग्न रहेगी जो मान्य होगा।
- 29 निविदादाताओं का दायित्व होगा कि निविदा डालने के पूर्व कार्य स्थल का निरीक्षण कर कार्य की प्रकृति एवं कार्य सम्पादन में आने वाली कठिनाईयों से स्वयं अवगत हो ले एकरारनामा संपादित कर लेने के बाद किसी कारण से कार्य सम्पादन में असमर्थ रहने वाले संवेदक नियमानुकूल दण्डात्मक कारवाई के भागी होंगे।
- 30 कार्य के पूर्ण होने तक सामग्रियों की सुरक्षा एवं भंडारण आदि की व्यवस्था का दायित्व संवेदक का होगा।
- 31 जी0एस0टी0, आयकर एवं सेस की कटौती नियमानुसार संवेदक के विपत्र से ही की जायेगी।
- 32 सशर्त निविदा मान्य नहीं होगा।
- 33 बिना कारण बताये पूर्ण अथवा आंशिक निविदा को स्वीकार अथवा रद्द करने का अधिकार सक्षम पदाधिकारी को सुरक्षित रहेगा। रद्द किये गये निविदा के लिए किसी प्रकार का स्पष्टीकरण बताने हेतु निर्णय लेने वाले पदाधिकारी बाध्य नहीं होंगे।
- 34 सफल निविदादाताओं को कार्य आवंटन के उपरान्त एकरारनामा के समय स्वीकृत निविदा राशि के 3% (तीन प्रतिशत) जमानत की राशि राष्ट्रीय कृत बैंक से निर्गत TDR या राष्ट्रीय बचत पत्र (आठवें निगम) या सावधि जमा पासबुक जो विधिवत अधोहस्ताक्षरी के पदनाम से प्रतिज्ञित हो, जमा करना होगा। 5% (पाँच प्रतिशत) की राशि जमानत राशि के रूप में विपत्र से काट ली जायेगी। जो कार्य पूर्ण होने एवं सभी पहलुओं को जाँच करने के उपरान्त वापस कर दी जायेगी।
- 35 निर्धारित समय सीमा के अन्दर कार्यों को कर देना निविदादाताओं के लिए बाध्यकारी होगा। किसी भी अपरिहार्य परिस्थिति में समय वृद्धि की स्वीकृति मुख्य अभियता (यॉ0) जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के द्वारा दी जा सकेगी। कार्य सम्पादन में विलम्ब के कारण भुगतान में होनेवाली कठिनाई के लिए निविदादाता स्वयं जिम्मेवार होंगे।
- 36 कार्य का एकरारनामा एफ0 2 (कड़िका-23 को विलोपित) पर किया जायेगा।
- 37 जी0 एस0 टी0 एवं आयकर की कटौती नियमानुसार विपत्र से की जायेगी।
- 38 श्रमिक कल्याण निधि मद में लेबर सेस 1% प्रतिशत दर की कटौती की जायेगी।
- 39 सामग्रियों ख्याति प्राप्त निर्माता से निर्मित एवं अधिकृत विक्रेता से खरीदी गई है, माँगे जाने पर संवेदक को इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।
- 40 निम्न आशय का शपथ पत्र निविदा के साथ सलग्न करना होगा। " I the undersigned do here by certify that all the statements made in the required attachments are true and correct and if found fake/ forged , the undersigned will be liable for infliction upon the FIR and lawful punishment as well as black listing."
- 41 एक से अधिक निविदादाता के द्वारा समान न्यूनतम दर उद्धृत किये जाने की स्थिति में सफल निविदादाता का चयन बिहार निर्माण संहिता के नियम- 163 के प्रावधान के आलोक में लौटरी के माध्यम से किया जायेगा।
- 42 विभागीय पत्रांक 124 दिनांक 04.02.2021 द्वारा निर्गत निदेश के आलोक में संवेदको को जिला पुलिस अधीक्षक के द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र निविदा के साथ सलग्न करना होगा।
- 43 निविदादाताओं द्वारा परिमाण विपत्र के दर से कम दर उद्धृत करने पर पथ निर्माण विभाग बिहार पटना के पत्रांक 447 (5) दिनांक 16.01.2020 सह पठित ज्ञापक 448 (5) दिनांक 16.01.2020 तथा विभागीय पत्रांक 50

दिनांक 20.01.2020 के क्रम में अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (Additional Performance Gurantee) जमा करना होगा।

H0/-  
(ई0 संजीव कुमार)  
कार्यपालक अभियंता(यो0)  
क्षेत्र यंत्र प्रमंडल, भागलपुर

पत्रांक- 77

भागलपुर/दिनांक 13/02/2024

प्रतिलिपि- सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित। अनुरोध है कि इस अल्पकालीन निविदा का प्रकाशन बिहार राज्य स्थित दैनिक समाचार पत्र में कराने की कार्रवाई की जाय।



(ई0 संजीव कुमार)  
कार्यपालक अभियंता(यो0)  
क्षेत्र यंत्र प्रमंडल, भागलपुर।